न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/07/2022	2022/28	28.0.2022	29.07.2024

1. रूप सिंह सोलंकी पुत्र मुरलीराम, निवासी ग्राम मालाखेड़ा उचित मूल्य दुकानदार 1/4 भाग ग्राम पंचायत मालाखेड़ा, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर राज0।

——अपीलान्ट

बनाम

1. जिला रसद अधिकारी, अलवर राज0।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 02.5.2016 जिला रसद अधिकारी, अलवर जिसके द्वारा अपीलान्ड का प्राधिकार पत्र सं. 1237/2003 विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट को बिना सुने निलम्बित किया गया।

उपस्थितः—
01—श्री श्योरामसिंह नरूका —वकील अपीलांट
02—विभागीय पैरोकार —रेस्पोडेंट

—:निर्णयः—

अपीलांट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा दिनांक 02.05.2016 को निर्णय पारित कर यह आदेश पारित किया है कि "श्री रूप सिंह सोलंकी, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मालाखेड़ा 1/4, तहसील अलवर ग्रामीण के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज होने के कारण डीलर का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया जाता है।" जिला रसद अधिकारी अलवर द्वारा उक्त पारित दिनांक 02.05.2016 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं. 1237/2003 विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट को बिना सुने निलम्बित कर दिया गया है जिससे व्यथित होकर प्रस्तुत है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया, पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 02.05.2016 के विरूद्ध यह अपील पेश की जा रही है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का प्राधिकार निलम्बन आदेश केवल 90 दिन तक ही प्रभावी रहता है, लेकिन दिनांक 02.08.2016 तक भी अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण नहीं किया गया है, ना ही दिनांक 19.01.2022 तक अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी किया गया है। दिनांक 19.01.2022 को जिला रसद अधिकारी ने यह एलानिया कहा कि वो अपीलान्ट के केस का फैसला नहीं करेंगे। जिला रसद अधिकारी, अलवर की इंकारी से अपील अन्दर अवधि पेश है। रफाये हुज्जत पृथक से दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न किया जा रहा है। अपीलान्ट, ग्राम पंचायत मालाखेड़ा, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर में उचित मूल्य का दुकानदार है तथा 1/4 भाग ग्राम पंचायत मालाखेड़ा में उचित मूल्य की दुकान संचालित करता है जिसका प्राधिकार पत्र सं. 1237/2003 है जो वर्ष 2003 से बिना किसी व्यवधान के उचित मूल्य की सामग्री का वितरण दिनांक 29.04.2016 तक करता चला आया है। मिन अपीलान्ट उचित मूल्य दुकान के संचालन से प्राप्त कमीशन से ही अपना व अपने परिवार की बमुश्किल गुजर बसर करता है तथा आय का अन्य कोई

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

साधन नहीं है। अपीलान्ट दिनांक 29.04.2016 को अपनी उचित मूल्य दुकान में रखे हुए स्टॉक कैरोसीन के 05 ड्रमों को ग्राम पंचायत मालाखेड़ा से किराये पर ली गई दुकान में शिफ्ट कर रहा था, जिस समय थाना मालाखेड़ा के पुलिस कर्मियों के द्वारा गलत रूप में अपीलान्ट के आवंटित क्रयशुदा कैरोसीन के 05 ड्रमों को जब्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था जिसके उपरान्त प्रवर्तन निरीक्षक ने संदेह के आधार पर उक्त कैरोसीन को कब्जे राजसात लिया गया था और अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 6, की कार्यवाही कर दी गई थी एवं उस कार्यवाही के उपरान्त अपीलान्ट का प्राधिकार प्राधिकार पत्र अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिए बिना एकपक्षीय रूप में आलोच्य आदेश दिनांक 02.05.2016 पारित कर निलंबित कर दिया गया था, जो आदेश उक्त आधार पर अपास्त व अभिखण्डित फरमाए जाने योग्य है। अपीलान्ट की पूर्व में उचित मूल्य दुकान हल्दीना रोड़, मालाखेड़ा पर स्थित थी, वो दुकान अपीलान्ट के पिता की थी। अपीलान्ट के पिता ने उक्त दुकान को पारिवारिक बंटवारे में अपने दीगर पुत्र नन्दकिशोर को दे दी थी, जिस पर अपीलान्ट ने मजबूरीवश अपनी उचित मूल्य दुकान के कारोबार के लिए दिनांक 01.02.2016 से ग्राम पंचायत मालाखेड़ा से दुकान नम्बर 78 व 79 किराये पर ली गई। उचित मूल्य दुकान परिवर्तन की सूचना अपीलान्ट के द्वारा मातहत जिला रसद अधिकारी, अलव रको दिनांक 25.04.2016 को दी जाकर नवीन नक्शा प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत कर दिया था, जिसकी जानकारी मातहत अधिकारी को बखूबी रही है। अपीलान्ट के द्वारा दिनांक 29.04.2016 को अपनी नवीन किरायेशुदा दुकानों में अपने कैरोसीन के 05 ड्रम जो स्टॉक में थे, को मैसर्स दीपक ट्रेडर्स से दिनांक 21.04.2016 को क्रय किया गया था जिसका बिल अपीलान्ट के पास मौजूद है जिसे दिनांक 29.04.2016 को मुकामी पुलिस थाना मालाखेड़ा एवं उसके उपरान्त प्रवर्तन अधिकारी को दौराने जांच दिखाया जाकर प्रति उपलब्ध करा दी गई थी, अपीलांट के विरूद्ध किसी उपभोक्ता की कभी कोई शिकायत नहीं रही है, ना ही किसी प्रकार की उचित मूल्य सामग्री के वितरण में अनियमितता रही है। कानूनन 90 दिनों के पश्चात निलम्बित लाईसेंस स्वतः ही बहाल हो जाना चाहिए था, केवल 90 दिन तक ही प्राधिकार पत्र को निलम्बित रखा जा सकता है, 90 दिवस के अन्दर प्राधिकार पत्र की जांच का फैसला करना होता है, 90 दिवस के उपरान्त स्वतः ही प्राधिकार पत्र बहाल हो जाता है, जैसा की श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अपने पत्र दिनांक 02.09.2008 एवं 07.07.2009 में दिशा निर्देश दिये गये हैं। लेकिन उसके बावजूद जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मिन अपीलान्ट के प्रकरण का निस्तारण 05 वर्ष 08 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है जिस कारण से अपील पेश करना आवश्यक हुआ है। Raj Foodgrains & Other Ess. Art. (Regu. of District) Order 1976 के सैक्टर 8 के क्लॉज 2 के अनुसार "No Order of Cancellation Shall be made under this order unless the authorization holder has been given a reasonable opportunity of stating his case against the proposed cancellation but during the pendancy or in contemplation of proceedings of cancellation of authorization, the authorization can be suspended for a period not exceeding 90 days without giving any opportunity to the authorization holder of stating his case" अपीलान्ट वर्ष 2003 से उचित मूल्य दुकानदार के कार्य को पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से करता चला आ रहा है अपीलांट का प्राधिकार पत्र पिछले 05 वर्ष 08 माह से निलम्बित चल रहा है जिससे अपीलान्ट के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उचित मूल्य सामग्री वितरण से बनने वाली कमीशन राशि से ही अपीलांट स्वयं का व अपने परिवार की गुजर बसर करता है। न्यायाहित में अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाना आवश्यक है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्ध तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है इसलिए जिला रसद अधिकारी, अलवर का आदेश दिनांक 02.05.2016 काबिल निरस्तनीय है व अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का आलोच्य आदेश दिनांक 02.05.2016 साईक्लोस्टाईल आदेश है, जो स्पीकिंग आर्डर नहीं है। आलोच्य आदेश में अपीलान्ट पर जो आरोप लगाये गये हैं, वो आरोप गंभीर प्रकृति के नही थे, ना ही अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का गबन किया गया है, ना ही अपीलान्ट द्वारा कोई

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

अनियमितता की गई है, जिसके बावजूद भी जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से अपनी हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ आदेश या फैसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जवाब एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो मातहत जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया है अपीलान्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की जानबूझकर किसी प्रकार से भी उल्लघंन नहीं किया गया है एवं ना ही किसी प्रकार की अनियमितता बरती गई है। इसलिए भी जिला रसद अधिकारी, अलवर का आदेश दिनांक 02.05.2016 काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि जिला रसद अधिकारी, अलवर का आदेश दिनांक 02.05.2016 जिसके द्वारा जिसके द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 1237/2003 विधि विरूद्व तरीके से निलम्बित कर दिया गया है, वो आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 1237/2003 बहाल करते हुए उचित मूल्य सामग्री 1/4 भाग ग्राम पंचायत मालाखेड़ा का उठाव एवं वितरण करने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें। वकील अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन में राज0 सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का आदेश दि0 18.10.17, आर.एल.डी. एस.सी. पेज 509 Natural Justice, आर. आर.डी. 1991 पेज 606 एवं आर.आर.डी. 1992 पेज 117 नजिरें पेश की है।

रेस्पो0 सं0 1 ने जरिये प्रतिनिधि दौराने बहस निवेदन किया कि दिनांक 29.04.2016 को केरोसीन तेल की कालाबाजारी की सूचना पर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा की गई। पुलिस द्वारा भी कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया। जिस पर 997 लीटर केरोसीन व महिन्द्रा पिकअप जप्त की गई। कालाबाजारी के संबंध में थाना मालाखेड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जिसके पश्चात कार्यवाही कर दिनांक 02.05.2016 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया। जो न्यायसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया। दिनांक 29.04.2016 को केरोसीन तेल की कालाबाजारी की सूचना प्रवर्तन अधिकारी द्वारा रेस्पो0 सं0 1 को दी गई। अपीलान्ट को पुलिस द्वारा भी कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया, जिस पर 997 लीटर केरोसीन व महिन्द्रा पिकअप जप्त की गई। अपीलान्ट द्वारा की गई कालाबाजारी के संबंध में थाना मालाखेड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके पश्चात कार्यवाही कर दिनांक 02.05.2016 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया, जो न्यायसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 02.05.2016 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान